B-4.

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश
Bhartiya Janata Party, Delhi Pradesh

9233-12/मा०म०/वि०प्र०/011

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4740
Date 28/12/11 16 DEC 2011

14 दिसम्बर, 2011

श्री कमल नाथ,
शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, निर्माण भवन,
नई दिल्ली - 110 011

प्रिय महोदय,

भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं दिल्ली के मास्टर प्लान और राजधानी के चतुर्धिक विकास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि दिल्ली की दो करोड़ आबादी सुख-चैन का जीवन जी सकें। आपने शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद स्वयं कहा था कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 बंद कमरे में बैठकर बना लिया गया है, जमीनी हकीकत से इस मास्टर प्लान का कोई लेना-देना नहीं है। आपके इस कथन के बाद ही डीडीए का स्पष्टीकरण आया था कि उसके द्वारा बनाया गया मास्टर प्लान 2021 अनेक विशेषज्ञों तथा नगर नियोजकों की बैठकों के बाद दिल्लीव्यापी सर्वे करके बनाया गया है। यह पूरी तरह दिल्ली की जरूरतों को पूर्ण करता है।

इस प्रकार डीडीए ने अपने विभागीय वरिष्ठ मंत्री के कथन की खुली आलोचना करके आपकी, सरकार की और सर्वोच्च न्यायालय तक की अवमानना की है। मैं डीडीए और आपके प्रपंच में न उलझकर दिल्ली की जमीनी हकीकतों से जुड़े कुछ नग्न सत्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि तद्नुसार आप उनपर खुले दिमाग से निर्णय कर सकें।

★ 12 दिसम्बर, 2011 को दिल्ली को भारत की राजधानी बने हुए 100 वर्ष पूर्ण हो गए। इस अवसर पर डीडीए ने अखबारों में एक विज्ञापन निकालकर अपनी पीठ थपथपाई है कि उसने अपनी स्थापना के 54 साल में दिल्ली में 10 लाख 90 हजार 229 मकान बनाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। डीडीए की स्थापना ही इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि आम आदमी को सरकार उसके बजट तथा वेतन के अनुसार सस्ते और टिकाऊ मकान बनाकर देगा ताकि जनता प्राइवेट बिल्डरों के शोषण से बच सके।

★ डीडीए का नग्न सत्य यह है कि आज दिल्ली में डीडीए का एक बैडरूम फ्लैट स्वयं डीडीए द्वारा कम से कम 25 लाख रूपए में बेचा जा रहा है। यही फ्लैट कालाबाजार में 50 लाख रूपए का बेचा जा रहा है। डीडीए आज भी किसानों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के मोल पर करके किसानों को मात्र 22 लाख रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रहा है जबकि एक एकड़ जमीन में चार मंजिले 300 एक बैडरूम सैट बनाकर उन्हें जनता को 75 करोड़ रूपए डीडीए बेचता है।

★ यूपीए सरकार बनने के बाद केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय और डीडीए ने यह घोषणा की थी कि दिल्ली में हर साल दो लाख मकान बनाकर डीडीए जनता को उपलब्ध कराएगा। इस अनुसार अब तक के यूपीए के 7.5 वर्ष के शासनकाल में डीडीए को 15 लाख मकान बनाकर दिल्ली की जनता को उपलब्ध करा देने चाहिए थे। मेरा सवाल आपसे यह है कि उस वायदे का क्या हुआ ?

क्रमशः

★ केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के सर्वेक्षण के मुताबिक राजधानी में सिर्फ 23 प्रतिशत निर्माण नियोजित हैं, शेष 77 प्रतिशत दिल्ली अनियोजित रूप से बसी हुई है। इस भयंकर अराजकता के लिए क्या आपका मंत्रालय, डीडीए और दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं हैं?

★ दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनावों के अवसर पर अक्तूबर, 2008 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक जलसा करके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों से दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के आवासीय कल्याण संगठनों को प्रॉविजनल सर्टिफिकेट इस वायदे के साथ बांटे थे कि सभी 1639 अनधिकृत कालोनियों को एक साल के अंदर नियमित करके उनमें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी। इन कालोनियों में 50 लाख लोग निवास करते हैं। तीन साल बीत गए लेकिन न तो किसी अनधिकृत कालोनी को नियमित किया गया न ही उनमें सीवर, पाइप लाइन, सड़क, खड़ंजा, नाली, अस्पताल आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

★ केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार ने चुनाव के मौके पर दिल्ली की 31 लाख झुग्गी बस्तियों के निवासियों से वायदा किया था कि उनको उनके झुग्गी बस्ती के स्थान पर ही पक्के फ्लैट बनाकर सस्ती दरों पर किश्तों में उपलब्ध कराए जायेंगे। तीन साल के बाद भी एक भी सस्ता फ्लैट बनाकर झुग्गी या स्लम बस्तियों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

★ वर्ष 2007 में दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने जबरदस्त तोड़फोड़ और सीलिंग शुरू की। इससे सारी दिल्ली में भय और आतंक का माहौल व्याप्त हो गया। सीलिंग और तोड़फोड़ का भाजपा ने जबरदस्त विरोध किया तब जाकर सरकार दिल्ली स्पेशन लॉज़ बनाकर लाई और सीलिंग तथा तोड़फोड़ को अगले एक साल के लिए रोक दिया गया। यह रोक एक-एक साल बढ़ाई जाती रही। अब आपने तीन साल के लिए सीलिंग और तोड़फोड़ पर इस शर्त के साथ रोक लगाई है कि दिल्ली के लिए नया जमीनी मास्टर प्लान तीन साल में बना लिया जायेगा, तब तक के लिए सीलिंग और तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। आपके इस आदेश से अगले तीन साल के लिए दिल्ली के लाखों लोगों पर सीलिंग और तोड़फोड़ की तलवार पुनः लटक गई है।

★ केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार बनने के दौरान दिल्ली की जनता की मुसीबतों को देखते हुए श्री वाजपेयी सरकार ने राजधानी में एक विस्तृत वैंडर नीति तैयार की थी। इसके तहत तहबाजारी लगाने वाले, पटरी पर कारोबार करने वाले, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले, अनियोजित और असंगठित लाखों दैनिक रोजगाररत लोगों को उजाड़े बगैर वहीं लाइसेंस बनाकर देने और कार्य करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया था। वह वैंडर नीति राजग सरकार के जाने के बाद ठंडे बस्ते में यूपीए सरकार द्वारा डाल दी गई है। इससे दिल्ली के लाखों स्वरोजगाररत लोगों के रोजगार छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है।

★ दिल्ली के 375 गांवों में 108 साल से पुराना लाल डोरा क्षेत्र चला आ रहा है जबकि गांवों की आबादी 108 साल में पांच गुनी हो गई है। यह लाल डोरा क्षेत्र सभी गांवों की जमीनी हकीकत देखते हुए समुचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि गांवों की बढ़ी हुई आबादी तोड़फोड़ और सीलिंग का शिकार न बने।

– 3/ –

★ दिल्ली के कटरों और पुनर्वास बस्तियों में 10 लाख से अधिक लोग बगैर मालिकाना हक के वर्षों से निवास कर रहे हैं। इन कालोनियों और कटरों की दशा इतनी जर्जर है कि यहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपकी सरकार इन कटरों और पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को नए मास्टर प्लान में मालिकाना हक उपलब्ध करा सकती है।

★ नगर नियोजकों और महानगर विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2021 में दिल्ली में 24 लाख नए मकानों की जरूरत होगी। इस अनुसार तत्काल प्रभाव से प्रतिवर्ष 1 लाख 20 हजार मकान या फ्लैट अभी से बनने शुरू हो जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में स्लम बस्तियों, झुग्गी बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों की बात आ जाएगी और दिल्ली दुनिया का सबसे अनियोजित शहर बनकर रह जाएगी।

★ यह बताना जरूरी है कि आज भी दिल्ली के 40 प्रतिशत नागरिकों के पास जल बोर्ड का पानी सप्लाई नहीं होता है। दिल्ली की 20 प्रतिशत आबादी को बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं है। दिल्ली के 81 लाख लोगों को सीवर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली यमुना नदी एक गंदे नाले में बदल गई है। इस पवित्र नदी में आजकल आदमी तो दूर जानवर भी स्नान करके सुरक्षित नहीं रह सकते हैं।

भाजपा चाहती है कि दिल्ली की दो करोड़ आबादी एक खुशहाल और निरापद जिंदगी जिए। इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली की विषम आबादी और विषम परिस्थितियों को देखते हुए एक जमीनी मास्टर प्लान बने जिसमें सभी वर्गों का पूर्ण समायोजन बगैर किसी कानूनी लफड़े या पचड़े पड़े हुए हो जाए। दिल्ली की आबादी में अमीर-गरीब सभी का हिस्सा है। उनकी भुगतान क्षमता को देखते हुए नए मास्टर प्लान में प्रावधान किए जायें। गरीबों, असहायों, विकलांगों, बुजुर्गों, एकल महिलाओं आदि के लिए भी विशेष प्रावधान हों ताकि दिल्ली के लोग गर्व से कह सकें कि दिल्ली हमारी – हम दिल्ली के।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(विजेन्द्र गुप्ता)
अध्यक्ष